संख्या-12/2026/1951/003-78-01099-138-2022

प्रेषक,

नेहा जैन,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 लखनऊ: दिनांक: 27-02-2026

विषय:- दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुरूप राइट ऑफ वे पोर्टल के विकास हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रु 35.42 लाख (रूपये पैंतीस लाख बयालीस हजार मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी के पत्र संख्या-यूपीएलसी:आईसीपी:9064 (2025-26), दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुरूप राइट ऑफ वे पोर्टल के विकास हेतु धनराशि रु 35.42 लाख (रूपये पैंतीस लाख बयालीस हजार मात्र) की स्वीकृति के सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-7, उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-80-सामान्य, 800-अन्य व्यय-23-उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2020 का कार्यान्वयन-27-सब्सिडी" मद में उपलब्ध प्राविधान रु 4000.00 लाख में से रु 35.42 लाख (रूपये पैंतीस लाख बयालीस हजार मात्र) की धनराशि का पुनर्विनियोग के माध्यम से राजस्व लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-28-ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल-42 अन्य व्यय" मद में संक्रमण करते हुए संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र(प्रति संलग्न) में उल्लिखित धनराशि रू0 35.42 लाख (रूपये पैंतीस लाख बयालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की निम्निलिखित शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/10-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-1637/दस-14(1)/75 दिनांक 26-06-1975 के वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उक्त धनराशि का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(4) उक्त धनराशि का आहरण केवल तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही राजकोष से किया जायेगा।

(5) धनराशि का आहरण कर उसे पीएलए/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(8) बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें अतिरिक्त धनराशि की माँग नहीं की जायेगी।

(10) जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की माँग की जा रही है, उसी मद हेतु आवश्यकतानुसार आहरित कर इसी वित्तीय वर्ष में व्यय की जायेगी।

(11) स्वीकृति धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय का विवरण एवं उपयोग की गई धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र यथासमय उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ उपलब्ध कराना चाहेंगे।

(13) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड लखनऊ स्वयं उत्तरदायी होगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 35,42,000 (रुपये पैंतीस लाख बयालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 285207 2022800 ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

नेहा जैन

विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ, उ0प्र0।
6- संयुक्त निदेशक, उद्योग लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- राज्य समन्वयक, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।
10- उप निदेशक,वित्त मंत्रालय,प्लान फाइनेंस-1 डिवीजन व्यय विभाग,भारत सरकार,नई दिल्ली।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजनअनु0-4, उ0प्र0, शासन।
12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/लघु उद्योग अनु0-3/औद्योगिक विकास अनु0-2/आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2, उ0प्र0, शासन।
13- अनु सचिव/नोडल अधिकारी, बजट एलॉटमेंट सिस्टम,आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

# बी एम-9 (भाग - 1)

# पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

## (संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A078-20252026-78-01099-138-2022

विषय:- दूरसंचार अधिनियम 2023 के अनुरूप राइट ऑफ वे पोर्टल के विकास हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में

### निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग | आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत | संक्रमित की जाने वाली धनराशि | वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि | संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 2852808002300 (उ.प्र. डाटा सेन्टर नीति-2020 का कार्यान्वयन) | 27 (सब्सिडी) | 40,00,00,000 रुपये चालीस करोड़ मात्र | 40,00,00,000 रुपये चालीस करोड़ मात्र | 35,42,740 रुपये पैंतीस लाख बयालीस हजार सात सौ चालीस मात्र | 35,42,000 रुपये पैंतीस लाख बयालीस हजार मात्र | 39,64,58,000 रुपये उनतालीस करोड़ चौंसठ लाख अट्ठावन हजार मात्र | 2025-2026 |
| कुल | | | | | ₹ 35,42,740 | ₹ 35,42,000 | | |

### निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

| अनुदान संख्या | लेखाशीर्ष | मानक मद | वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग | संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि | वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि | संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग | वित्तीय वर्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 2852072022800 (ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल) | 42 (अन्य व्यय) | 50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र | 35,42,740 रुपये पैंतीस लाख बयालीस हजार सात सौ चालीस मात्र | 35,42,000 रुपये पैंतीस लाख बयालीस हजार मात्र | 85,42,000 रुपये पचासी लाख बयालीस हजार मात्र | 2025-2026 |
| कुल | | | | ₹ 35,42,740 | ₹ 35,42,000 | | |

### कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है:-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-80-सामान्य, 800-अन्य व्यय-23-उ0प्र0 डाटा सेन्टर नीति-2020 का कार्यान्वयन-27-सब्सिडी" मद के अन्तर्गत धनराशि रु 35,42,740 लाख की बचत संभावित है एवं लेखाशीर्ष लेखाशीर्ष "2852-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-28-ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल-42 मद में वर्तमान के दृष्टिगत धनराशि 35,42,740 लाख का अतिरिक्त व्यय सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- उक्त तालिका के स्तम्भ-10 में वित्तीय वर्ष 2025-26 में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

अनुदेश

1. प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से संबंधित पुनर्विनियोगों के लिए अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिए। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में भारित अंकित कर दिया जाय।

2. जिन लेखाशीर्षों में प्रभाव पड़ेगा उसका वर्णन ब्योरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये गये वर्णन के अनुरूप होना चाहिए।

3. कालम-2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक संबंधित लेखाशीर्ष के अंतर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हों, को सम्मिलित किया जाये।

4. प्रपत्र के कालम-5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोग अंकित किया जायेगा।

संख्या:RE-budget-1-260-E-6-128-X-2025-26-दिनांक: 29-01-2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उ0प्र0, इलाहाबाद

नेहा जैन
विशेष सचिव

शैलेन्द्र कुमार राय
अनु सचिव

संख्या :1951/तृ-01-25 दिनांक- 02 फरवरी, 2026

---

## प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, उद्योग कानपुर (नियंत्रक अधिकारी)
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ
3. निदेशक वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

आज्ञा से

नेहा जैन
विशेष सचिव